

राजस्थान सरकार  
औषधि नियंत्रण संगठन, कमरा नं0 305, स्वास्थ्य भवन,  
तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान)।

E-mail: [drugcontrolraj@gmail.com](mailto:drugcontrolraj@gmail.com)  
Contact no. 0141-2221760, 2221670

क्रमांक: डीसी/ए-2/यू.के.-89/2017/

दिनांक :

:: आदेश ::

श्रीमती लतीशा अच्छवानी, तत्कालीन औषधि नियंत्रण अधिकारी, जोधपुर द्वारा औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 के प्रावधानों के अन्तर्गत औषधि Pantoprazole & Domperidone Tablets (PENT-AV-D), B.No. TP50280, D/M 07/2015, D/E 12/2017, Mfgd. by M/s Taurus Parentals Pvt. Ltd., Plot No. 46-A, Sector I.DC, Sidcul IIE Pantnagar, Rudrapur, Dist. U.S. Nagar, Uttaranchal का नमूना जाँच/विश्लेषण हेतु लिया गया जो कि राजकीय विश्लेषक, राजस्थान, जयपुर की जाँच रिपोर्ट क्रमांक 3400/2016-2017/DTL/2017 dated 07.03.2017 के अनुसार निम्नांकित कारण से अवमानक कोटि (Not of Standard Quality) का पाया गया:-

**The sample does not conform to the claim with respect to Assay of Domperidone and Disintegration.**

**Assay: Found 6.55mg (i.e 65.5% of claim)**

**Disintegration: All tablets are disintegrate in 120 min in 0.1M HCL (Limit: No tablets should be disintegrate in 120 min in 0.1M HCL for enteric coated tablets).**

चूंकि किसी भी फर्म अथवा उक्त औषधि के निर्माता द्वारा उक्त टेस्ट रिपोर्ट को नियमानुसार चेलेन्ज नहीं किया गया है, अतः उक्त टेस्ट रिपोर्ट Conclusive evidence है। प्रकरण में अनुसंधान/अन्वेषण श्री हंसराज मण्डा, औषधि नियंत्रण अधिकारी, जोधपुर द्वारा किया गया।

आज दिनांक 16.10.2017 को श्री हंसराज मण्डा, औषधि नियंत्रण अधिकारी, जोधपुर मेरे समक्ष उपस्थित हुये, उनके द्वारा प्रस्तुत समस्त मूल दस्तावेजों का अध्ययन एवं त्रुटि करने तथा अन्वेषण के बिन्दुओं पर चर्चा करने के पश्चात औषधि निर्माता फर्म के जिम्मेदार मालिक/भागीदार/निदेशकों, औषधि निर्माण एवं विश्लेषण के लिये जिम्मेदार मेन्यूफैक्चरिंग एवं एनालिटिकल केमिस्टों एवं प्रश्नगत औषधि के संग्रह, विक्रय व वितरण से जुड़े सभी औषधि विक्रेताओं तथा सम्बद्ध सभी दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 का उल्लंघन करना भली भांति साबित पाये जाने पर नियम 51(5) के तहत श्री हंसराज मण्डा, औषधि नियंत्रण अधिकारी, जोधपुर के समक्ष हस्ताक्षर कर समस्त दोषियों के विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही किये जाने हेतु अनुदेश दिये जाते हैं।

(अजय फाटक)  
नियंत्रण प्राधिकारी एवं  
औषधि नियंत्रक  
राजस्थान, जयपुर

दिनांक : 16/10/17

क्रमांक: डीसी/ए-2/यू.के.-89/2017/ 623  
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. जिला कलैक्टर, जोधपुर (राजस्थान)।
2. सहायक औषधि नियंत्रक, जोधपुर।

हस्ताक्षर  
16-10-2017

श्री हंसराज मण्डा, औषधि नियंत्रण अधिकारी, जोधपुर, केम्प-जयपुर को दस्ती देकर निर्देशित किया जाता है कि अपराध प्रमाणित करने योग्य दस्तावेजात एवं गवाह सूची सहित सक्षम न्यायालय में शीघ्र इस्तगासा दायर कर की गई कार्यवाही से संगठन को अवगत करावें।

4. श्रीमती प्रिया जुनेजा, औषधि नियंत्रण अधिकारी, जयपुर।
5. प्रोसिक््यूशन डेस्क/कम्प्यूटर डेस्क/रक्षित पत्रावली।

(अजय फाटक)  
नियंत्रण प्राधिकारी एवं  
औषधि नियंत्रक  
राजस्थान, जयपुर